दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	(2) में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी (1) भगवान (4) सहखातेदार काश्तकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है चूंकि प्रार्थी ने दावा एवं प्रा. पत्र सहखातेदारों के विरुद्ध पेश किया है। इसलिए यह प्रा. पत्र पोषणीय नहीं है। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर सेक्शन हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)